संख्या:103/2020/907/35-4-2020

प्रेषक,

विवेक,
विशेष सचिव,
नियोजन विभाग ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक: 29 दिसम्बर,2020

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपदो को क्रिटिकल गैप्स योजना के अन्तर्गत पूँजीगत विकास कार्यो हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों में स्थानीय आवश्यकताओं की तात्कालिकता को देखते हुये विभिन्न विकास कार्यो के क्रिटिकल गैप्स की पूर्ति हेतु प्रदेश की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल का समग्र सूचकांक के अनुसार प्रदेश के 40 बडे जनपदों में रू. 1.50 करोड़ तथा 35 छोटे जनपदों में रू. 1.00 करोड़ के आधार पर धनराशि स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है। एतदद्वारा क्रिटिकल गैप्स योजना में जनपदों हेतु अनुमन्य धनराशि की सीमान्तर्गत शहरी विकास हेतु रू. 950.00 लाख तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु रू. 3800.00 लाख अर्थात कुल रू. 4750.00 लाख (रूपये सैंतालिस करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्तस्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

2- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्रसरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

3- कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

5- क्रिटिकल गैप्स योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-1191/35-4-2007 दिनांक 26 मार्च,2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग -1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 मार्च,2020 का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगाऔर अत्यन्त आवश्यकता एवं अपरिहार्यता के आधार पर ही आवश्यकता अनुसार धनराशि आहरित की जायेगी।

7- अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

8- स्वीकृत धनराशि का राजकोष से आहरण तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा। ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

9- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2021 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अनाहरित/अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2021 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2021 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2021 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

2- स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 40 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रो के कार्यों में होने वाला व्यय लेखाशीर्षक-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमो पर पूँजीगतपरिव्यय-800-अन्य व्यय-05-पूँजीगत विकास कार्यो के लिये व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य एवं शहरी क्षेत्रो के कार्यों में होने वाला व्यय लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-03-पूँजीगत विकास कार्यो के लिए व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः ई-5-1589/दस-2020 दिनांक 24 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

संलग्नक- यथोक्त ।

भवदीय,

(विवेक)
विशेष सचिव।

संख्या-:103/2020/907(1)/35-4-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- प्रधान महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज ।
3- अपर मुख्य सचिवएवं वित्त आयुक्त,वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
5- समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश ।
6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
9- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (सांख्यिकी)अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश ।
10- समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(विवेक)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-103/2020/907/35-4-2020 दिनांक-29 दिसम्बर,2020 का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	अनुमन्य धनराशि			अवमुक्त की जा रही धनराशि		
		ग्रामीण क्षेत्रों हेतु	शहरी क्षेत्रों हेतु	कुल	ग्रामीण क्षेत्रों हेतु	शहरी क्षेत्रों हेतु	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रयागराज	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00
2	खीरी	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00
3	सीतापुर	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00
4	हरदोई	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00
5	आजमगढ़	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00
6	बरेली	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00
7	जौनपुर	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00
8	बहराइच	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00
9	आगरा	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00
10	सोनभद्र	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00
11	बिजनौर	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00
12	बुलन्दशहर	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00
13	गोरखपुर	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00
14	कानपुर नगर	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00
15	बाराबंकी	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00
16	उन्नाव	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00
17	गोण्डा	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00
18	अलीगढ़	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00
19	लखनऊ	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00
20	शांहजहांपुर	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00
21	बदायूँ	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00
22	सहारनपुर	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00
23	गाजीपुर	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00
24	प्रतापगढ़	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00
25	रायबरेली	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00
26	मिर्जापुर	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00
27	झांसी	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00
28	फतेहपुर	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00
29	कुशीनगर	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00
30	बलिया	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00
31	मेरठ	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00
32	जालौन	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00
33	बाँदा	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00
34	ललितपुर	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00
35	मथुरा	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00
36	देवरिया	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00
37	मुजफ्फरनगर	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0सं0	जनपद का नाम	अनुमन्य धनराशि			अवमुक्त की जा रही धनराशि		
		ग्रामीण क्षेत्रों हेतु	शहरी क्षेत्रों हेतु	कुल	ग्रामीण क्षेत्रों हेतु	शहरी क्षेत्रों हेतु	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
38	महराजगंज	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00
39	पीलीभीत	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00
40	मुरादाबाद	120.00	30.00	150.00	60.00	15.00	75.00
	उपयोग- बड़े जनपद	**4800.00**	**1200.00**	**6000.00**	**2400.00**	**600.00**	**3000.00**
41	वाराणसी	80.00	20.00	100.00	40.00	10.00	50.00
42	सिद्धार्थनगर	80.00	20.00	100.00	40.00	10.00	50.00
43	बलरामपुर	80.00	20.00	100.00	40.00	10.00	50.00
44	बस्ती	80.00	20.00	100.00	40.00	10.00	50.00
45	सुल्तानपुर	80.00	20.00	100.00	40.00	10.00	50.00
46	फिरोजाबाद	80.00	20.00	100.00	40.00	10.00	50.00
47	हमीरपुर	80.00	20.00	100.00	40.00	10.00	50.00
48	अयोध्या	80.00	20.00	100.00	40.00	10.00	50.00
49	अम्बेडकर नगर	80.00	20.00	100.00	40.00	10.00	50.00
50	रामपुर	80.00	20.00	100.00	40.00	10.00	50.00
51	कानपुर देहात	80.00	20.00	100.00	40.00	10.00	50.00
52	संभल	80.00	20.00	100.00	40.00	10.00	50.00
53	मैनपुरी	80.00	20.00	100.00	40.00	10.00	50.00
54	गाजियाबाद	80.00	20.00	100.00	40.00	10.00	50.00
55	चन्दौली	80.00	20.00	100.00	40.00	10.00	50.00
56	अमेठी	80.00	20.00	100.00	40.00	10.00	50.00
57	एटा	80.00	20.00	100.00	40.00	10.00	50.00
58	अमरोहा	80.00	20.00	100.00	40.00	10.00	50.00
59	फर्रूखाबाद	80.00	20.00	100.00	40.00	10.00	50.00
60	चित्रकूट	80.00	20.00	100.00	40.00	10.00	50.00
61	मऊ	80.00	20.00	100.00	40.00	10.00	50.00
62	इटावा	80.00	20.00	100.00	40.00	10.00	50.00
63	महोबा	80.00	20.00	100.00	40.00	10.00	50.00
64	कन्नौज	80.00	20.00	100.00	40.00	10.00	50.00
65	संतकबीर नगर	80.00	20.00	100.00	40.00	10.00	50.00
66	हाथरस	80.00	20.00	100.00	40.00	10.00	50.00
67	कौशाम्बी	80.00	20.00	100.00	40.00	10.00	50.00
68	औरैया	80.00	20.00	100.00	40.00	10.00	50.00
69	कासगंज	80.00	20.00	100.00	40.00	10.00	50.00
70	गौतमबुद्ध नगर	80.00	20.00	100.00	40.00	10.00	50.00
71	श्रावस्ती	80.00	20.00	100.00	40.00	10.00	50.00
72	भदोही	80.00	20.00	100.00	40.00	10.00	50.00
73	बागपत	80.00	20.00	100.00	40.00	10.00	50.00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0सं0	जनपद का नाम	अनुमन्य धनराशि			अवमुक्त की जा रही धनराशि		
		ग्रामीण क्षेत्रों हेतु	शहरी क्षेत्रों हेतु	कुल	ग्रामीण क्षेत्रों हेतु	शहरी क्षेत्रों हेतु	कुल
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
74	शामली	80.00	20.00	100.00	40.00	10.00	50.00
75	हापुड़	80.00	20.00	100.00	40.00	10.00	50.00
	उप योग-छोटे जनपद	**2800.00**	**700.00**	**3500.00**	**1400.00**	**350.00**	**1750.00**
	योग- उत्तर प्रदेश	**7600.00**	**1900.00**	**9500.00**	**3800.00**	**950.00**	**4750.00**
	(ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र हेतु कुल अवमुक्त धनराशि रूपये सैंतालीस करोड़ पचास लाख मात्र)						

(विवेक)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।